न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 18/2019 तारीख रजू 12.04.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (विक्रेता व मालिक)–फर्म–महावीर किराना स्टोर, सदर बाजार, शहर सवाई माधोपुर निवासी हनुमान वैद्य जी की गली, शहर, सवाई माधोपुर
2. रमेश चन्द्र पारीक पुत्र मदन मोहन पारीक प्रोपराईटर–फर्म–रमेश टी कम्पनी, ए–175 खजाने वालों का रास्ता जयपुर निवासी मकान नं.–111 मरूधर नगर, हीरापुरा अजमेर रोड जयपुर

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011
U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006

निर्णयः– **दिनांक 09.05.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 01.08.2018 को लगभग 01.30 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म– महावीर किराना स्टोर, सदर बाजार, शहर, सवाईमाधोपुर पर निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा बताया व स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने हनुमान प्रसाद शर्मा को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। हनुमान प्रसाद शर्मा अपनी दुकान पर चाय, सरसों तेल, किराना व परचून सामान आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने हनुमान प्रसाद शर्मा से दुकान का वर्ष 2018–19 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स एवं स्वयं का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने फर्म का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स कमांक 12215038000048 दिनांक 18.05.2017 दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुयी खाद्य वस्तु चाय (मोरंगी) 250 ग्राम पैक के लगभग 15 पैकिट दुकान की रैक में रखे हुए थे, का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता हनुमान प्रसाद शर्मा से चाय (मोरंगी) 250 ग्राम पैक का शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान पर रैक में रखे हुए खाद्य वस्तु चाय (मोरंगी) 250 ग्राम पैक के 15 पैकिटो में से 8 पैकिट शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना लेने बावत खरीदे जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 560/– रूपये अक्षरे पांच सौ साठ रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु चाय (मोरंगी) 250 ग्राम पैक के 8 पैकिटों को 2–2 करके चार अलग–अलग साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर प्रत्येक डिब्बे का ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बन्द कर चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वंय आवेदक के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर चार लेबलो को प्रत्येक डिब्बे पर अलग–अलग चिपकाया। प्रत्येक डिब्बे को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरो को गोंद से चिपकाकर डिब्बों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर H-1467 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाकर प्रत्येक डिब्बे को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर करके चारो डिब्बों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर विक्रेता व मालिक हनुमान प्रसाद शर्मा ने उक्त खाद्य वस्तु चार (मोरंगी) 250 ग्राम पैक का फर्म रमेश टी कम्पनी, ए–175 खजाने वालों का रास्ता जयपुर का बिल संख्या 1006 दिनांक 07.07.2018 की एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबन्द डिब्बा एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की 2 प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 02.08.2018 को खाद्य विश्लेषक कोटा (राजस्थान) के यहॉ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की। नूमने के दो सील बंद डिब्बे (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द डिब्बा (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर आवेदक के द्वारा डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2018/3891 दिनांक 04.10.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट संख्या 490/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/575 दिनांक 27.09.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु चाय (मोरंगी) 250 ग्राम पैक का नमूना मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया। उक्त प्रकरण में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिसब्राण्ड प्रकृति की खाद्य पदार्थ चाय (मोरंगी) 250 ग्राम पैक का

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) खाद्य पदार्थ चाय (मोरंगी) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त संख्या 1 की दुकान से चाय (मोरंगी) का सेम्पल भरा गया था जिसको कोटा की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति एवं मानक स्तर का माना गया है। प्रार्थी को नियमों की जानकारी नहीं थी। भविष्य में दोबारा उक्त गलती को नहीं दोहराया जावेंगा। अभियुक्त संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी है। अतः अभियुक्त संख्या 2 को न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 490/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/575 दिनांक 27.09.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ चाय (मोरंगी) मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)) पाया गया है। अभियुक्त संख्या 1 फौत हो चुका है। अभियुक्त संख्या 2 द्वारा बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनतम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त संख्या 1 के फौत होने के कारण अभियुक्त संख्या 1 का प्रकरण से नाम हज़फ किया जाता है तथा अभियुक्त संख्या 2 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त संख्या 2 द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त संख्या 2 को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु चाय (मोरंगी) 250 ग्राम पैक** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 2 पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 9/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर